भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1870
जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

लोक अदालतों में लंबित मामले

1870 श्री इरण्ण कडाडिः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी लोक अदालतें आयोजित की गईं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरन विभिन्न लोक अदालतों में कितने मामलों का निपटारा किया गया और कितने मामले लंबित हैं ;

(ग) क्या सरकार विभिन्न लोक अदालतों में दर्ज मामलों के निपटान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने कानूनी सहायता बढ़ाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को धन उपलब्ध कराया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : संपूर्ण देश और कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न लोक अदालतों में अभिनिर्धारित और निपटाए गए (पूर्व-मुकदमेबाजी चरण और लंबित मामलों दोनों पर) मामलों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण **उपाबंध-क** पर दिया गया है । न्यायालयों में मामलों के लंबन को कम करने के लिए और पूर्व- मुकदमेबाजी चरण पर विवादों के निपटारे के लिए भी विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो वह उचित समझे, लोक अदालतें आयोजित की जाती है । लोक अदालत एक स्थायी स्थापन नहीं है और संबंधित न्यायालयों द्वारा इसे यथानिर्दिष्ट लंबित मामलों का निपटान करते है । प्रकृति में स्थायी नहीं होने के कारण लोक अदालतों में सभी अनिर्णीत मामले संबंधित न्यायालयों में वापस आ जाते है, लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते है । किसी भी किस्म की लोक अदालत के गठन के पूर्व कोई विनिर्दिष्ट निपटान लक्ष्य नियत नहीं किया गया है ।

(घ) : सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता के कार्यान्यवन के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को सहायता अनुदान के रूप में निम्नलिखित निधियां जारी की हैं ।

(रू. करोड़ में)

वर्ष	**जारी की गई निधियां**
2018-19	150.00
2019-20	140.00
2020-21	100.00
2021-22	145.00
कुल	**535.00**

उपाबंध-क

लोक अदालतों में लंबित मामले के संबंध में श्री इरण्ण कडाडि, मंत्री द्वारा पूछे गए राज्य सभा अंतारांकित प्रश्न संख्या 1870 जिसका उत्तर तारीख 17.03.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण ।

संपूर्ण देश में और कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लोक अदालतों में अभिनिर्धारित और निपटाए गए मामलों का विवरण ।

राज्य लोक अदालत :

राज्य	2019		2020		2021		2022(जनवरी तक)	
	गठित न्याय पीठों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	गठित न्याय पीठों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	गठित न्याय पीठों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	गठित न्याय पीठों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
संपूर्ण देश में कुल	107585	624659	52067	538793	77153	734888	7246	23890
कर्नाटक	5244	51099	2444	134108	693	3779	35	167

राष्ट्रीय लोक अदालत :

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या :

राज्य	वर्ष		
	2019	2020	2021
संपूर्ण देश में कुल	5293273	2548368	12788037
कर्नाटक	281849	334681	1277856

स्थायी लोक अदालत :

राज्य	2019		2020		2021		2022 (जनवरी तक)	
	बैठकों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
संपूर्ण देश में कुल	28632	114233	20507	47475	27600	99436	2916	4788
कर्नाटक	1610	5523	1146	4635	1215	4745	130	310

****